न्यायालय श्रीमती अमृता चौधरी, R.A.S न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 02/2022(जीसीएमएस संख्या : 2022/28)

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी,

बनाम

1. नीरज कुमार जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन, (विक्रेता एवं मालिक), मैसर्स–जैन किराना, दौसा रोड, कोटखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
   मूल निवासी–मनसा माता कॉलोनी, कोटखावदा, चाकसू, जयपुर।
2. श्रीमती शकुन्तला देवी (मालिक), मैसर्स–पवन फूड प्रोडक्टस, आदर्श विद्या मंदिर के पीछे, जयपुर रोड, दौसा (राज.)।

अप्रार्थीगण,

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II)/51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री प्रशान्त शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 31.01.2023**

प्रार्थी श्री दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 07.01.2022 को दोपहर 2:00 बजे मैसर्स जैन किराना स्टोर, दौसा रोड, कोटखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर पर पहुंचा। वहां पर नीरज कुमार जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन उपस्थित मिले। जिन्होने स्वयं को विक्रेता एवं मालिक होना बताया। मैसर्स जैन किराना स्टोर, दौसा रोड, कोटखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर पर विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर 500 ग्राम वजन वाले नमकीन (गगन) के 6 कट्टे (प्रत्येक में 50 पैकिट) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इनमे गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु एक कट्टे में से 4 पैकिट नमकीन (गगन) 4X500 ग्राम खरीदकर उनकी कीमत 260 रूपये विक्रेता श्री नीरज कुमार जैन को नकद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान पवन जैन एवं श्री संदीप अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष खरीदशुदा 4 पैकिट नमकीन (गगन) 4X500 ग्राम को 4 गत्ते के पैकिटो में अलग–अलग डालकर प्रत्येक पैकिट पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर--द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-2381 दर्ज किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 AN-2381 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। विक्रेता श्री नीरज कुमार जैन द्वारा उपरोक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (गगन) 500 ग्राम मैसर्स–पवन फूड प्रोडक्ट, आदर्श विद्या मन्दिर के पीछे, दौसा के इनवाइस नं0 1578 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा खरीद होना बताया। मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां एवं मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री नीरज कुमार जैन ने पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की प्रति विक्रेता श्री नीरज कुमार जैन को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/183/एक्ट/2022/215 दिनांक 27.01.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (गगन) मिसब्राण्डेड फूड अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(C)(i) होना पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा मिस ब्राण्डेड नमकीन (गगन) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी को धारा 52 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस दिया गया। अप्रार्थीगण जरिऐ अभिभाषक हाजिर आये और जवाब पेश किया।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी श्री दीपक कुमार सिंधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय में पदस्थापित है और उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्राप्त है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2022 को दोपहर 2:00 बजे मैसर्स जैन किराना स्टोर, दौसा रोड, कोटखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर पर पहुंचा। वहां पर नीरज कुमार जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन उपस्थित मिले। जिन्होने स्वयं को विक्रेता एवं मालिक होना बताया। मैसर्स जैन किराना स्टोर, दौसा रोड, कोटखावदा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर पर विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर 500 ग्राम वजन वाले नमकीन (गगन) के 6 कट्टे (प्रत्येक में 50 पैकिट) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु एक कट्टे में से 4 पैकिट नमकीन (गगन) 4X500 ग्राम खरीदकर उनकी कीमत 260 रूपये विक्रेता श्री नीरज कुमार जैन को नकद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान पवन जैन एवं श्री संदीप अग्रवाल के

हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष खरीदशुदा 4 पैकिट नमकीन (गगन) 4X500 ग्राम को 4 गत्ते के पैकिटों में अलग–अलग डालकर प्रत्येक पैकिट पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-2381 दर्ज किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 AN-2381 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। विक्रेता श्री नीरज कुमार जैन द्वारा उपरोक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (गगन) 500 ग्राम मैसर्स–पवन फूड प्रोडक्ट, आदर्श विद्या मन्दिर के पीछे, दौसा के इनवाइस नं0 1578 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा खरीद होना बताया है। मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां एवं मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जाने पर श्री नीरज कुमार जैन ने पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की प्रति विक्रेता श्री नीरज कुमार जैन को देकर रसीद प्राप्त की गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को नमूना वास्ते जॉच जमा कराकर रसीद प्राप्त की है। खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल एस/183/एक्ट/2022/215 दिनांक 27.01.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (गगन) मिसब्राण्डेड फूड अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(C)(i) होना पाया गया है। जिसकी पुनः जॉच हेतु अपील के लिऐ जरिये स्पीड पोस्ट सूचित किया है। अप्रार्थी द्वारा इसकी अपील नहीं की गई है जिससे यह सिद्ध है कि जॉच रिपोर्ट बाबत् मिसब्राण्ड स्वीकार है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा मिसब्राण्डेड नमकीन (गगन) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीगण को धारा 52 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री प्रशान्त शर्मा ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पूरा प्रकरण कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिसब्राण्डेड नमकीन का न तो निर्माण किया गया है और न ही बेचान किया गया है और न ही अप्रार्थी द्वारा बेचा जाता है। दिनांक 07.01.2022 को एक व्यक्ति जिसने स्वयं को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताया था किन्तु कोई परिचय पत्र नहीं बताया और ना ही कोई अनुज्ञा पत्र की मांग की किन्तु अप्रार्थी द्वारा वांछित दस्तावेज उक्त अधिकारी को सौंप दिये। प्रार्थी पेरोकार का यह कहना गलत है कि आवेदक को गुणवत्ता की कमी/मिसब्राण्डेड होने का अंदेशा हुआ हो बल्कि उक्त आवेदक ने 4 पैकिट नमकीन (गगन) 4X500 ग्राम क्रय करना चाहा जिसे विपक्षी संख्या 1 ने आवेदक को बेचान कर दिया तथा आवेदक को उक्त विक्रय

किये गये माल की रसीद जारी कर दी किन्तु यह कहना गलत है कि पवन जैन एवं संदीप अग्रवाल के हस्ताक्षर कराये हो ऐसे कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये और ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कोई हस्ताक्षर किये। विपक्षी संख्या 1 को इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि उक्त अधिकारी द्वारा क्या–क्या कार्यवाही की गई है विपक्षी संख्या 1 के समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही निष्पादित नहीं की गई। पेरोकार सरकार का यह कहना भी गलत है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फॉर्म 05 ए एवं फर्द रिपोर्ट तैयार की हो और यह भी गलत है कि विपक्षी संख्या को पढकर, सुनाकर व समझाकर हस्ताक्षर किये हो और नीरज कुमार जैन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये हो और रसीद प्राप्त की हो। ऐसे कोई दस्तावेजात ना तो तैयार किये गये और ना ही समझाया गया बल्कि अधिकारी ने दबाव देकर कुछ खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये थे। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज जो कि अधिकारी ने तैयार किये है जिससे विपक्षी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और न ही सत्य एवं सही है। प्रार्थी पेरोकार का यह कहना गलत है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नमकीन (गगन) को 4 गत्ते के पैकिटों में अलग–अलग डालकर प्रत्येक पैकिट पर लेबल तैयार चिपकाये हो और जिस पर AN–2381 दर्ज किया हो और यह भी गलत है कि प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये हो और गवाहान के हस्ताक्षर करवाये हो और यह भी गलत है कि चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर सील चपडी किया हो और यह भी गलत है कि प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये हो और नमूनो को अपने जाप्ते में लिये हो। सम्पूर्ण तथ्य बनावटी है। उक्त अधिकारी ने बिना पढाये एवं बिना बताये कुछ कागजो आदि पर हस्ताक्षर करवा लिये थे और विपक्षी संख्या 1 ने उक्त अधिकारी के दबाव में आकर हस्ताक्षर किये थे। सम्पूर्ण तथ्य बनावटी है और सत्यता से परे है। यह भी कहना गलत है कि नमूना जांच विक्रय पदार्थ मिसब्राण्डेड हो और ऐसा जानबूझकर किया गया हो। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नमकीन का निर्माण नहीं किया जाता है बल्कि क्रय कर बेचा जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 छोटा किराना व्यापारी है जिसे नियमों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसी जानकारी आने पर अप्रार्थी संख्या 2 से दुरूस्ती करवा ली गई है। जिसके प्रमाण स्वरूप अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दुरूस्त की गई पैकिंग की प्रति प्रस्तुत की गई है। संक्षिप्त में प्रथमतयः परिवाद में वर्णित खाद्य निजस्वमूल्क और आदर्श खाद्य है जिसके मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए है एवं न ही उक्त खाद्य किसी खाद्य श्रेणी में रखा गया है, परंतु वह असुरक्षित अथवा अवमानक नहीं है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट मानकों के अभाव में परिवाद में वर्णित खाद्य, ''मिथ्या छाप खाद्य'' नहीं है, विपक्षी संख्या 1 द्वारा कोई अभिलाभ अथवा अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया गया है एवं ना ही किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि कारित हुई है। विपक्षी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रथम परिवाद पेश किया गया है। प्रकरण में खाद्य निरीक्षक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के प्रावधानों की अक्षरतः पालना नहीं की गई है। नमूना संग्रहण दोषपूर्ण होने से संपूर्ण कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है। प्रयोगशाला के प्रतयायत होने का कोई हवाला नहीं है एवं खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रकरण में अपना व्यक्तिगत वित्तीय हित के न होने बाबत् कोई हवाला नहीं दिया गया है। उपरोक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूना मात्र ''मिथ्या छाप'' पाया गया है एवं किसी भी जांच में खाद्य नमूना अमानक

नहीं पाया गया है प्रकरण में अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को सुधार सूचनाएं ना देकर विधि की भारी भूल कारित की है एवं परिवाद पत्र इसी पर सरसरी तौर पर खारिज किए जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार ही खाद्य की लेबलिंग व पैकिंग में चाहे गए समस्त बदलाव किए जा चुके है। अतः परिवाद सरसरी तौर पर खारिज किए जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध न होने से प्रकरण खारिज फरमाया जाकर ड्रॉप फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैः–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन.स्वास्थ्य.) राजस्थान, जयपुर की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पी.एफ.ए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 एवं संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पी.एफए/नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक 09.08.2011 की प्रति ।
2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाएं (जन.स्वास्थ्य.) राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक निदेशालय/एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 की प्रति जिसके द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय का कार्य क्षेत्र का आवंटन किया गया है।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.01.2022 को नमूने के लिऐ क्रय किये 4 पैकिट नमकीन (गगन) 4X500 ग्राम के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 07.01.2022 को दिये गऐ केश–मीमों की प्रति जिसके द्वारा रूपये 260/– नकद लिये जाना स्वीकार किये जाने की प्राप्ति पर स्वयं विक्रेता के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गऐ प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर विक्रेता नीरज कुमार जैन के हस्ताक्षर है और गवाहान के भी हस्ताक्षर है।
5. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता नीरज कुमार जैन के हस्ताक्षर है व दो गवाहान के हस्ताक्षर है।
6. अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तहत भाग फॉरम–II फॉरम III फॉरम IV की प्राप्ति रसीदें।
7. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्रारूप 6 की प्रति एवं प्रारूप 6 की प्रतियां प्राप्ति की रसीद की प्रतियां।
8. खाद्य विश्लेषक से प्राप्त नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना मिसब्राण्ड होना अंकित है।
9. श्री नीरज कुमार जैन मैसर्स–जैन किराना स्टोर को अपील हेतु लिखे गऐ पत्र दिनांक 08.02.2022 की प्रति।

प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह

किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कथन का खण्डन तो किया गया है किन्तु अपने कथन को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे है। वरवक्त बहस अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विद्वान् अभिभाषक ने यह स्वीकार किया है कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य की लेबलिंग व पैकिंग में चाहे गऐ समस्त बदलाव किये जा चुके है, प्रमाणस्वरूप संशोधित लेबलिंग व पैकिंग की प्रति पेश की है जिससे विक्रय किया जाने वाला माल मिसब्रांड होने की स्वीकारोक्ति होना स्वमेव सिद्ध है। जांच हेतु लिये गऐ नमूने की खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 में नमूने को मिसब्रांड खाद्य पदार्थ होना पाया है, इस रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 पर सन्देह किये जाने का कोई आधार नहीं है इसके बावजूद भी अप्रार्थी को रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 की अपील किये जाने हेतु जरिये पत्र क्रमांक 23 दिनांक 08.02.2022 सूचित किया गया है अप्रार्थी द्वारा टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 की अपील नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी को टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 की रिपोर्ट मिसब्रांडेड होना स्वीकार है। अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि मौके पर विक्रय हेतु पाये गये 06 कट्टे (प्रत्येक में 50 पैकिट) में से विक्रय किये गये 4 पैकिट नमकीन (गगन) 4X500 ग्राम जो विक्रय किया गया है वह मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ है और अप्रार्थी नीरज कुमार जैन ने मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके एवं पवन फूड प्रोडक्ट द्वारा मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ का उत्पादन कर विक्रय हेतु एकल व्यापारी को बेचकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। पवन फूड द्वारा ही माल विक्रय हेतु बेचा गया है इसके प्रमाण हेतु पत्रावली में पवन फूड प्रोडक्ट का केश मीमो दिनांक 07.01.2022 पत्रावली में उपलब्ध है । पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि अप्रार्थी द्वारा मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ का बार–बार विक्रय किया गया है अथवा पूर्व में विक्रय किया गया हो और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पूर्व में शास्ति से दण्डित किया गया हो। अतः विचारण प्रकरण में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए हम अप्रार्थी संख्या 01 के कृत्य के लिए राशि रूपये 5,000/–(अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) एवं अप्रार्थी संख्या 02 के कृत्य के लिए राशि रूपये 25000/–(अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें। निर्धारित अवधि में शास्ति की राशि जमा नहीं कराने पर प्रार्थी कार्यालय द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे/लाइसेंस स्थगित किये जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमृता चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय)
जयपुर